तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डी.आर. मेघवाल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 87/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.20	अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम निवासी गांव सरेचा बस स्टेण्ड के पास, वाया धुन्धाड़ा तहसील लूणी व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.05.2020 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत पुंगलिया पं.स. बालेसर के वर्तमान निर्वाचित सरपंच के नाम निर्देशनप्रपत्र/नामांकन पत्र की सत्यापित दिलाने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 500 दिनांक 15.07..2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बालेसर से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर को कार्यालय के पत्रांक 328 दिनांक 04.06.20 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी बालेसर कार्यालय से संबंधित है तथा उनके द्वारा सूचना अभी तक नहीं दिया जाना बतलाया गया अतः अपील स्वीकार की जाती है। तथा लोक सूचना [illegible] (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 [illegible] अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी [illegible] आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश [illegible] गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2020.11.21 14:13:20 IST
Reason: SelfAttested